न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0सं0 – 90/2024

उनवान : –

1. रोहताश कुमार पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झारांल त0 भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झारांल त0 भादरा।
3. रामप्रसाद पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झारांल त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. लीलाधर पुत्र खुबीराम जाति ब्राह्मण निवासी झारांल तहसील भादरा।
2. मोहिनी पत्नी लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झारांल त0 भादरा।
3. कृष्ण कुमार लीलाधर शर्मा पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झारांल त0 भादरा।
4. जयसिंग पुत्र लीलाधर जाति ब्राहम्ण निवासी झारांल त0 भादरा।
5. कमला पुत्री लीलाधर जाति ब्राहम्ण निवासी झारांल त0 भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री लीलाधर जाति ब्राहम्ण निवासी झारांल त0 भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री धर्मपाल बैरवाल **वादीगण**
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादी

दिनांकः 13/11/24

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 सीएचएन के खाता सं0 34/56 की कुल 7.0840है0 में प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर के नाम 1/3 हिस्सा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादीगण अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 7 की ओर से जवाब पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी रोहताश द्वारा मुख्य परीक्षा प्रस्तुत कर ... किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 16:59:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहरा वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहरा वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 4 सीएचएन के खाता सं0 34/56 की कुल 7.0840है0 में प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर के नाम 1/3 हिस्सा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही रोही मौजा चक 4 सीएचएन के खाता सं0 34/56 की कुल 7.0840है0 में प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर के नाम 1/3 हिस्सा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1–2 तथा 5–6 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 3–4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम होना राजीनामा में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 4 सीएचएन के खाता सं0 34/56 की कुल 7.0840है0 में प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर के नाम 1/3 हिस्सा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 1 रोहताश कुमार वादी सं0 2 रमेश कुमार वादी सं0 3 रामप्रसाद तथा प्रतिवादी सं0 3 कृष्ण कुमार प्रतिवादी सं0 जयसिंग को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 5–6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Kalpit

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व, R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 16:59:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0नं0 – 90/2024

अनवान : –

1. रोहताश कुमार पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झारांल त0 भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झारांल त0 भादरा।
3. रामप्रसाद पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झारांल त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. लीलाधर पुत्र खुबीराम जाति ब्राह्मण निवासी झांराल तहसील भादरा।
2. मोहिनी पत्नी लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झारांल त0 भादरा।
3. कृष्ण कुमार लीलाधर शर्मा पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झासंल त0 भादरा।
4. जयसिंग पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झासंल त0 भादरा।
5. कमला पुत्री लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झासंल त0 भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी झासंल त0 भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बैरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 सीएचएन के खाता सं0 34/56 की कुल 7.0840है0 में प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर के नाम 1/3 हिस्सा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 लीलाधर का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी सं0 1 रोहताश कुमार वादी सं0 2 रमेश कुमार वादी सं0 3 रामप्रसाद तथा प्रतिवादी सं0 3 कृष्ण कुमार प्रतिवादी सं0 जयसिंग को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 5–6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 16:59:39 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner